अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 138 / 2012.

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह– 2

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा० मढ़ौरा, सारण)

आदेश का–क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेषी, तारीख–सहित
25/02/2014	प्रस्तुत वाद श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह– 2, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या 48 / 2007, पंचायत धरहरा खुर्द, प्रखंड– अमनौर के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 3572 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा निर्गत आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 01 कैम्प (पटना) / दिनांक 09.09.2012 के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया कि दिनांक 04.09.2012 को उक्त विक्रेता की जन वितरण प्रणाली की दूकान की जांच (विभागीय पत्रांक 3972 दिनांक 27.06.2012 के आलोक में) पणन पदाधिकारी मुख्यालय (सचिवालय) पटना के साथ संयुक्त रूप से की गई। निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– (1) विक्रेता के द्वारा निरीक्षण / शिकायत पुस्तिका संधारित नहीं किया जाता है। (2) विक्रेता के द्वारा राशन / किरासन उठाव की सूचना निगरानी / अनुश्रवण समिति सदस्यों को नहीं दिया जाता है और न ही भंडार का सत्यापन कराया जाता है तथा समिति के सदस्यों के देख–रेख में वितरण भी नहीं कराया जाता है। (3) विक्रेता के भंडार में लगभग 4.5 क्वीन्टल चावल कम मात्रा में तथा 4 क्वीन्टल गेहूँ अधिक मात्रा में पाया गया। (4) विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि उन्हें जन वितरण से संबंधित सामग्रियों के वितरण में निर्धारित दर से अधिक मूल्य लिया जाता है। श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह– 2, अनुज्ञप्ति सं० 48 / 2007, पंचायत धरहरा	

खुर्द, प्रखंड अमनौर के द्वारा दिनांक 21.09.2012 को स्वयं उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा समर्पित किया गया। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता के जवाब को असंतोषजनक पाकर अपने ज्ञापांक 3572 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

उक्त विक्रेता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि निरीक्षण की तिथि 04.09.2012 को निरीक्षण के समय दूकान खुली हुई थी। जाँच दल को भंडार पंजी एवं वितरण पंजी जांचार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त तिथि को भंडार में बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय का राशन 31 क्वीन्टल 22 किलो गेहूँ तथा 44 क्वीन्टल 98 किलो चावल शेष था, जो माह अगस्त के पूर्ण वितरण के पूर्व भण्डारित था। संबंधित उपभोक्ताओं के बीच माह अगस्त के राशन के वितरण के पश्चात् भंडार में 4 क्वीन्टल 62 किलो गेहूँ तथा 6 क्वीन्टल 93 किलो चावल शेष था, जो भंडार में सुरक्षित था।

उक्त विक्रेता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि उनके द्वारा विभागीय पदाधिकारी से प्रत्येक माह नियमित रूप से अपने भंडार पंजी एवं वितरण पंजी का सत्यापन कराया जाता है। साथ ही, प्रत्येक माह खाद्यान्न एवं किरासन तेल के उठाव एवं वितरण की सूचना अनुश्रवण समिति को दी जाती है। इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र मो0 अब्दुल रउफ, सदस्य, अनुश्रवण समिति, अनुमंडल मढ़ौरा के द्वारा दिया गया है। जहां तक खाद्यान्न एवं किरासन तेल निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेने का प्रश्न है, उस संबंध में कहना है कि यह सरासर गलत है एवं स्थानीय राजनीति से प्रेरित है। विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से अपने उपभोक्ताओं को कैशमेमो भी दिया जाता है।

विक्रेता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा समर्पित कागजातों की समीक्षा करके अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने की कृपा की जाए।

सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के लिए उक्त विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, इसलिए इसे कायम रखा जाना चाहिए।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के परिसीलन के पश्चात् मैं यह पाता हूँ कि निरीक्षण की तिथि 04.09.2012 को श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह– 2, अनुज्ञप्ति सं0 48/2007, पंयायत धरहरा खुर्द, प्रखंड अमनौर की दूकान खुली थी एवं उनके द्वारा जाँच दल को भंडार पंजी एवं वितरण पंजी जांचार्थ उपलब्ध करायी गयी थी। भंडार सत्यापन में भी किसी व्यापक अनियमितता के आरोप की संपुष्टि नहीं होती है। विक्रेता के द्वारा समर्पित

कागजातों पर संबंधित आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा सत्यापनोपरान्त अपना हस्ताक्षर अंकित किया गया है। मढ़ौरा अनुमंडल के अनुश्रवण समिति के सदस्य मो0 अब्दुल **रउफ के द्वारा विक्रेता के संबंध में लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि** उनके द्वारा प्रत्येक माह खाद्यान्न एवं किरासन तेल के उठाव एवं वितरण की कार्रवाई अनुश्रवण समिति की देख–रेख में की जाती है।

इस तरह स्पष्ट है कि उक्त विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों की अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा यथोचित समीक्षा न करके उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश पारित कर दिया गया।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3572 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा निर्गत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 139/न्या० दिनांक 21/3/14
प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा / NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।